भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/63/2018 **दिनांक: 14 सितम्बर, 2018**

प्रेस नोट

विषय: ईसीआई की ईवीएम अन्य संगठनों/संस्थान द्वारा आयोजित निर्वाचनों में प्रयुक्त ईवीएम से पूर्णतः भिन्न है।

1. अन्यत्र विभिन्न संगठनों/संस्थानों द्वारा हाल ही में आयोजित निर्वाचनों के दौरान ईवीएम से कथित छेड़छाड़ की कतिपय शिकायतों से ईसीआई की ईवीएम के बारे में भी गलत धारणा उत्पन्न हुई। यह पाया गया कि अनेक लोगों के मन में ईसीआई के अधिकार क्षेत्र के बारे में भ्रांति है। इस अवसर पर हम एक बार पुनः यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईसीआई राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले स्थानीय निकाय के निर्वाचनों(नगरपालिकाओं,पंचायतों आदि) तथा देश में विभिन्न संगठनों/संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले निर्वाचनों एवं परिणामस्वरूप उनके द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रोटोकॉलों और प्रक्रियायों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

2. आयोग को ईसीआई-ईवीएम की सत्यनिष्ठा, छेड़छाड़रहित होने तथा इसकी विश्वसनीयता के बारे में दृढ़विश्वास है। आयोग के विश्वास का आधार ऐसे विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रोटोकॉल तथा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं जो हमारी ईवीएम तथा वीवीपीएटी को इसके निर्माण, परिवहन, भंडारण, मतदान तथा मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से सुरक्षित रखते हैं।

3. वर्ष 2017 तक, आयोग द्वारा मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर तथा मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद को राज्य निर्वाचन आयोगों तथा अन्य संगठनों को ईवीएम की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई थी (अगस्त,2006 में जारी की गई अनुमति पत्र संलग्न है)। तथापि, मई 2017 से, बीईएल और ईसीआईएल को आयोग की पूर्व अनुमति लेने तथा राज्य निर्वाचन आयोगों एवं विदेशों को केवल उन्हीं ईवीएम की आपूर्ति करने के निदेश दिए गए थे जो ईसीआई-ईवीएम से भिन्न हो, वह भी केवल ईसीआई द्वारा मांग की गई मदें पूरी तरह से आपूर्ति किए जाने के पश्चात ही।

4. पुरानी ईवीएम नष्ट करने के लिए बीईएल/ईसीआईएल के पास भेजी जाती हैं और इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित सख्त प्रोटोकॉल के अनुसार नष्ट किया जाता है।

5. आयोग केवल एक पदीय ईवीएम(अर्थात केवल एक पद के लिए मतदान किया जा सकता है) का उपयोग करता है। डूसू के निर्वाचनों में यह बताया गया है कि बहुपदीय ईवीएम(अर्थात मतदान एक से अधिक पद के लिए किया जा सकता है, उदाहरणस्वरूप राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/महासचिव), का उपयोग किया गया है, जो ईसीआई के एकपदीय ईवीएम से तकनीकी रूप से पूरी तरह से भिन्न है।

6. आयोग यह बताना चाहता है कि ईसीआई की ईवीएम में जो महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं, हो सकता है कि वे अन्य संगठनों/संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाली ईवीएम में उपलब्ध न हों।

(अजय कुमार)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 51/8/विविध/2006/पीएलएन-IV **दिनांक: 18.08.2006**

सेवा में

1 अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक,
इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
(दूरभाष:- 040-7260655, फैक्स सं. 040-7263021)

2 अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
नागौरा (आउटर रिंग रोड)
बैंगलोर – 560045,
कर्नाटक।
(दूरभाष:- 080-25039300, फैक्स सं. 080-25039305)

विषय: दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्वाचनों में उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस अनुरोध के साथ आयोग से सम्पर्क किया है कि उन्हें विश्वविद्यालय/कॉलेज यूनियन के निर्वाचनों में उपयोग के लिए ईसीआई की ईवीएम को लोन पर लेने या अपनी स्वयं की ईवीएम के अधिप्रापण की अनुमति दी जाए। इस उद्देश्य के लिए, आयोग में दिनांक 07/08/06 को ईसीआईएल के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा बहुपदीय निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त ईवीएम का प्रदर्शन किया गया था और इसे ऐसे निर्वाचनों के लिए उपयुक्त माना गया था। इसके पश्चात, सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निर्णय लिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को ईवीएम का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, अपना निर्वाचन करवाने के लिए वे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निर्माताओं, अर्थात् मैसर्स बीईएल तथा ईसीआईएल से अपनी ईवीएम का अधिप्रापण कर सकते हैं:-

विनिर्मित मशीनों में रंग का अंतर होना चाहिए, भले ही पूर्व में आपूर्ति की जाने वाली मशीनों में इस प्रकार का अंतर नहीं रखा गया हो।

राज्य निर्वाचन आयोगों (एसईसी) को आपूर्ति की गई ईवीएम के डिजाइन, रंग और मॉडल से भिन्न होना चाहिए।

निर्वाचन आयोगों को आपूर्ति की गई किसी भी ईवीएम में इसका उपयोग न किया जा सके।

में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, अर्थात् ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयोगों के आर्डर को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए।

भवदीय,
(के.एन.भार)
प्रधान सचिव
फोन नं. 23052014

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रोफेसर दीपक पेंटल, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, युनिवर्सिटी रोड, दिल्ली-110007, को इस अनुरोध के साथ कि वे आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्माता कम्पनियों (उपर्युक्त पते के अनुसार) से सम्पर्क करें। निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल प्रमुख व्यक्तियों को किसी उपयुक्त तारीख को आयोग में बहुपदीय निर्वाचन प्रणाली के लिए कुछ राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा प्रयुक्त ईवीएम का डेमो देखने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए। इस उद्देश्य के लिए वे अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।
2. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. सभी राज्य निर्वाचन आयोग।
4. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी।